न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/

दिनांक

प्रार्थी:-

1.चतराराम पुत्र भारमलराम
जाति मेघवाल,
निवासी इब्रे का तला
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.माणका पुत्र नरसा 2.नाथू पुत्र माना
3.आला पुत्र मगन, जाति मेघवाल
निवास इब्रे का तला,
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं.139/2024

दिनांक : 05.06.2025

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र मीठे का तला के मौजा इब्रे का तला के खेत खसरा सं. 730/558 रकबा 06.7987 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे ।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2024/ 899 to 902

दिनांक 05/06/25

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी चतराराम
3. विप्रार्थीगण माणका वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:27:41 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन